न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 136 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00169

प्रार्थी :— सरकार जरिये तहसीलदार रानी

बनाम

अप्रार्थीः—

1. भानाराम पुत्र मूलाराम
2. चमनाराम पुत्र मूलाराम
3. भंवरलाल पुत्र मूलाराम
4. जेसाराम पुत्र मूलाराम
5. दरगाराम पुत्र मूलाराम जातिगण मेणा निवासीगण सिवास तहसील रानी
6. हरीराम पुत्र सवाराम
7. सकाराम पुत्र सवाजी
8. गजरो पत्नी हरीराम जातिगण मीणा निवासीगण नवा गांव तहसील मारवाड़ जंक्शन
9. लक्ष्मी पत्नी खुमाराम
10. घीसी पत्नी रूघाराम जाति मीणा निवासी सिवास तहसील रानी
11. जीतु पुत्र झूमरमल जाति मीणा निवासी देवली आऊवा तहसील मारवाड़ जंक्शन

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक - 12/06/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिवास तहसील रानी के खसरा नम्बर 207, 209, 210 रकबा क्रमशः 0.20, 0.10, 0.05 किस्म जा.सो., गै.मु. बेरा, गै.मु. सड़ा की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 5, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.23 हैक्टेयर किस्म जा.सो. की भूमि अप्रार्थी संख्या 6, खसरा नम्बर 211/904 रकबा 0.20 हैक्टेयर की भूमि अप्रार्थी संख्या 7, खसरा नम्बर 211/906 रकबा 0.22 हैक्टेयर की भूमि अप्रार्थी संख्या 8, खसरा नम्बर 211/902 रकबा 0.22 हैक्टेयर की भूमि अप्रार्थी संख्या 9, खसरा नम्बर 211/905 रकबा 0.22 की भूमि अप्रार्थी संख्या 10 तथा खसरा नम्बर 211/903 रकबा 0.22 हैक्टेयर की भूमि अप्रार्थी संख्या 11 की खातेदारी भूमि के रूप में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता मूलाराम को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 145 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 वाला थी, जिसका आवंटन

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नही किया जा सकता है। अतः ग्राम सिवास के नामान्तरकरण संख्या 145 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता मूलाराम के हक में सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर एवं विधि अनुरूप आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी ने लाखों रूपये लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उस पर कृषि कार्य के उपयोग में ले रहा है तथा अन्य भूमिया आवासीय के रूप में रूपान्तरित करवाई जाकर मौके पर आबादी के रूप में अवस्थित है। तहसीलदार रानी ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों को भर कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जैर आराजी भूमि माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के तहत आने वाली भूमि में से भिन्न है तथा इससे संबंधित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम सिवास तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 207, 209, 210, 211, 211/904, 211/906, 211/902, 211/905, 211/903, 211/912, 211/913, 211/914, 211/915, 211/916 की भूमियां अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमियों के साबिक खसरा नम्बर 88 मी., 89 मी. कि किस्म गै0मु0 नाला है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 145 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 88मी., 89मी. की किस्म गै0मु0 नाला थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. नदी दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता मूलाराम के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी पाली के आदेश क्रमांक/1359 दिनांक 16.05.1971 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम सिवास तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 145 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति.जिला कलेक्टर,पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)